राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 716/2023

ओमवीर सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलारा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2023
आदेश की दिनांक : 09.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। अपीलार्थी व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलारा, भरतपुर कार्यरत है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2018 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरेठा, राजाखेडा, धोलपुर 180 किमी दूर किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि आलौच्य आदेश में विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दर्शाया गया है जबकि वास्तव में उक्त विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने आगे तर्क दिया है कि महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन के लिए खोले गए थे, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से की जाती है। अपीलार्थी के प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 की पालना नहीं की है। अतः उक्त आदेश विधि विरूद्ध है (अनुलग्नक–3)। अतः अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त कर समस्त वेतन–भत्ते एवं परिणामिक लाभ दिए जावें।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का निवेदन है कि महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त हेतु खोले

गये हैं एवं इनमें स्टाफ चयन की प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 जारी की गई है, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया से ही चयन किया जाता है। अपीलार्थी का पदस्थापन उक्त चयन प्रक्रिया के द्वारा नहीं करने से आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को जारी हुआ है जबकि अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 को जारी हुई है। अतः अधिसूचना 23.01.2023 का क्रियान्वयन पूर्ववर्ती तिथि को संभव नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर यथोचित समय पदस्थापन रहने पश्चात आलोच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। जबकि आलोच्य आदेश द्वारा उसी जिले में स्थानान्तरण किया गया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य